8 5 लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा – लोक सेवकों द्वारा दाखिल करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषयांतर्गत यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सरकार ने चूंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी दाखिल करने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 को अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में यह संज्ञान लिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 2(1)(ओ) के अनुसार, केन्दीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के मामले में ''लोक सेवक'' का अभिप्राय किसी व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के उप–धारा (1) के उपवाक्य (एफ) में संदर्भित किया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में सक्षम प्राधिकारियों ने निर्णय लिया है कि एतद् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 1103/3/2014–स्था.(ए) दिनांक 23.07.2014 की एक प्रति उपरोक्त विषयांतर्गत अग्रेषित की गई है और कहा गया है कि इसकी विषयवस्तु को सभी मंत्रालय/विभाग उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संज्ञान में अनुपालनार्थ लाएं।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु आचार संहिता, अनुशासन और अपील नियम में औपचारिक संशोधन को समय के अंतराल में कर लिया जाएगा।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 – प्रत्येक वर्ष हेतु लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा की प्रस्तुति तथा इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वेबसाइट्स पर सार्वजनिक डोमेन में रखना

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ लेने और कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को अधिसूचित कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम के अनुसार तथा उसमें अंतर्निहित नियमों के अधीन, प्रत्येक लोक सेवक धारा 14 के अनुसार घोषणाओं को दाखिल करेगा लेकिन इसमें ऐसे लोक सेवकों को शामिल नहीं करता है जो सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, 1950 और तटरक्षक बल अधिनियम, 1957 के तहत किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य है या इन अधिनियमो के तहत किसी प्रक्रिया हेतु इस तरह के लोक सेवक के लिए लागू है।

3. उल्लिखित है कि लोक सेवक की परिभाषा में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (समूह ए, बी और सी) शामिल हैं। अतएव, सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा दाखिल करना अनिवार्य है। यह केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का एक महत्वपूण अंतर है और इसका संज्ञान लिया जा सकता है।

4. इन नियमों के अनुसार, ऐसे लोक सेवक जिन्होंने लोक सेवक के लिए अनुमन्य नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संपत्ति की घोषणा, जानकारी और वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी है, वे अब एक संशोधित घोषणा, जानकारी अथवा जैसा भी मामला हो 1 अगस्त, 2014 के अनुसार वार्षिक विवरणी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 15 सितंबर, 2014 को अथवा इसके पूर्व दाखिल करेंगे। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी दाखिल करने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 को सर्व संबंधित के संज्ञान में अनुपालन हेतु लाएं।

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में औपचारिक संशोधन को समय के अंतराल में कर लिया जाएगा।

6. हिन्दी रूपांतर उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट–1

(*नियम* 3(1))

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20... को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी

(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम .....
(स्पष्ट अक्षरो में)

2.(क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति .....
..... (पदनाम, नाम, और संगठन का पता) .....
.....

.....

.....

(ख) किस सेवा से संबंधित है .....

(यदि लागू है)

घोषणाः

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली सूचना के बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्रारुप 1 से प्रारुप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें।

.....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउल्लिखित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों के बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को–

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बच्चे संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या लाभग्राही है

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के संबंध में; सूचना देगा।)

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो 'कर्ता' या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररुप सख्या 3 की विवरणी में उल्लिखित करना चाहिए और जहा ऐसे भाग का ठीक मूल्य उल्लिखित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उल्लिखित किया गया हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो।

टिप्पण 3. 'आश्रित बालक' से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई अनग साधन नहीं है ओर वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतया लोकसेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण)

परिशिष्ट – II

(*नियम* 3(1))

प्रारूप संख्या 1

लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों का विवरण

क्र.सं.	नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो:	क्या रिटर्न (विवरणी), उसके द्वारा फाइल किया जा रहा है:
1	स्वयं		
2	पति या पत्नी		
3	आश्रित–1		
4	आश्रित–2		
5	आश्रित–3		

* और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक है तो।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

प्रारुप संख्या 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान अचल संपत्ति का विवरण

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बच्चे की अचल संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित	आश्रित	आश्रित
(i)	नकद शेष						
(ii)	बैंक खातों में जमा का ब्यौरा (एफडीआर, मियादी जमा की अवधि, बचत खातों सहित जमा के सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों और सरकारी सोसाइटियों में जमा और प्रत्येक जमायोजना में जमा रकम	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, के नाम और जमा के प्रकार					
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों, शेयरों में निवेश का विवरण और कंपनियों/ म्यूच्युअल फंडस में यूनिटें और अन्य	कंपनी का नाम					

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में निवेश का विवरण या बीमा कंपनी में किसी वित्त लिखतों में निवेश	निवेश का प्रकार
(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा का विवरण	निवेश का प्रकार
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों सहित अन्य प्राप्य तथा रकम (जो भी अधिक है– (क) दो माह का मूल वेतन, जहां लागू हो, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रूपए)	देनदार का प्रकार
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीडा नौकाओं/पोत (निर्माण, पंजीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम का विवरण), आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं) (भार का विवरण दें)	वाहन का प्रकार, पंजीकरण कंपनी एवं खरीद का वर्ष
		सोना
	आभूषण	चांदी
	***	
(viii)		कीमती रत्न/ कीमती धातु
	बहुमूल्य	सोना
		चांदी
		कीमती रत्न/ कीमती धातु
(ix)	कोई अन्य परिसंपत्तियां	

दिनांक ---------- हस्ताक्षर ----------

टिप्पण 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा उल्लिखित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा।

टिप्पण 2. जमा/निवेश के मामले में, रकम, निवेश की तारीख, स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित विवरण दिए जाएं।

टिप्पण 3. सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मो के मामले में बहियों की मूल के बाबत स्टॉक एक्स्चेंज में चालू बाजार

के मूल्य के अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य।

टिप्पण 4. प्रत्येक निवेश के बारे में रकम में सम्मिलित विवरण अलग से दिए जाएं।

टिप्पण 5. ऊपर (i) से (viii) के अंतर्गत नहीं आने वाले, (ix)के अधीन चल संपत्ति का विवरण जो दो माह के मूल वेतन से अधिक हो (जहां लागू हो) या 1.00 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का विवरण उल्लिखित किया जाए।

प्रारुप संख्या 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.... को यथाविद्यमान अचल संपत्ति का विवरण

(अर्थात भूमि, आवास, दुकान, अन्य भवन, इत्यादि)

{लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों द्वारा धारित}

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण (भूमि/ आवास/ फ्लैट/ दुकान/ औद्योगिक आदि)	सटीक अवस्थिति (जिला, प्रभाग, तालुक, और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थित है और इसका खसरा संख्या आदि)	भूमि का क्षेत्रफल (भूमि और भवनों के मामले में)	भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति	भागीदारी / हित की सीमा	यदि लोक सेवक का नाम नहीं है तो किसका नाम धारित है और उससे लोक सेवक का संबंध, यदि कोई हो	अभिग्रहरण की तारीख	कैसे अर्जित की गई है (क्या क्रय, बंधक, पट्टा, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) व्यक्तियों के विवरण सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबंद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) (कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें) और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उल्लिखित किया जाए)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

टिप्पण (1) कॉलम 9 के प्रयोजन के लिए 'पट्टा' शब्द से तात्पर्य वर्ष दर वर्ष किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए अचल संपत्ति का पट्टा होगा तथापि जहां अचल संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसा पट्टे की अवधि को, चाहे वह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की अवधि पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

प्रारुप संख्या 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च 20.... को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्र.सं.	ऋणी (स्वयं/पति या पत्नी या आश्रित बच्चे)	राशि	लेनदार का नाम एवं पता	दायित्वों को ग्रहण करने की तारीख	लेनदेन का ब्यौरा	टिप्पणियां

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

टिप्पण 1. उधारों की व्यक्तिगत मदें जो दो माह के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रूपए हैं, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2. विवरण में वाहन के क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वेतन और यात्रा भत्ता के अग्रिमों से अलग), भविष्य निधि से अग्रिम और उससे उधार, के लिए अग्रिम जैसे नियोजक से उपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य से अधिक) जीवन बीमा पॉलिसियों तथा सावधि जमाओं पर उधार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. ए-42011/10/2011–प्रशासन, दिनांक 05–08–2014)

*****